



2026:AHC-LKO:22582

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट-ए संख्या - 4705 वर्ष 2025

आशीष कुमार

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

यू०पी० पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा चेयरमैन ,

लखनऊ एवं 3 अन्य

.....

प्रतिवादीगण(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : श्रीश कुमार गौड़

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : नीरव चित्रवंशी, मनीष जौहरी

न्यायालय संख्या-17

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री मनीष जौहरी, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. वर्तमान याचिका निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है:-

"i. याचिका के क्रमशः संलग्नक संख्या 1 एवं 2 में निहित आदेश

दिनांक 05.06.2023 का दंडादेश तथा दिनांक 29.04.2024 का अपील

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अस्वीकृति आदेश उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए को निरस्त किया जाए।

ii. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए विरोधी पक्षकारों को निर्देशित किया जाए कि रिट याचिका के क्रमशः संलग्नक संख्या 1 एवं 2 में निहित आदेश दिनांक 05.06.2023 का दंडादेश तथा दिनांक 29.04.2024 के अपील अस्वीकृति आदेश के निरस्तीकरण के फलस्वरूप समस्त सेवा लाभ मौद्रिक लाभ सहित प्रदान करें। "

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विभागीय कार्यवाही दिनांक 23.02.2021 को आरोप पत्र जारी किए जाने द्वारा प्रारंभ की गई, यह आरोप लगाया गया कि तृतीय पक्ष लेखा परीक्षण के दौरान निगम के भंडार तथा कनिष्ठ अभियंताओं के अभिलेखों का परीक्षण किया जाना आवश्यक था। तथापि, बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद, याचिकाकर्ता माप पुस्तिका प्रस्तुत करने में विफल रहा, तथा मेसर्स गौरव सिंघल एंड कंपनी भी उक्त फर्म द्वारा निष्पादित कार्य से संबंधित प्रासंगिक अभिलेख प्रस्तुत करने में विफल रहा।

उपर्युक्त आरोप पत्र के प्रत्युत्तर में, याचिकाकर्ता ने 18.03.2021 को जांच समिति के समक्ष अपना उत्तर प्रस्तुत किया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि 03.02.2021 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु नियत किया गया था; तथापि, साक्ष्य प्रस्तुत कर आरोपों को सिद्ध किए बिना ही जांच को निष्पादित कर लिया गया तथा जांच समिति ने अपनी जांच आख्या प्रस्तुत की। तत्पश्चात् जांच आख्या की प्रति याचिकाकर्ता को प्रदान की गई तथा उसके प्रति उत्तर विधिवत प्रस्तुत किया गया। तथापि, प्रश्नगत दंडादेश अत्यंत यांत्रिक तरीके से पारित किया गया, याचिकाकर्ता की प्रतिरक्षा पर समुचित विचार किए बिना।

4. इस न्यायालय के निर्णय **कृष्ण किशोर श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, दर्ज (2010) 4 एडीजे 559 में**, पर निर्भर करते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह स्थापित विधिक सिद्धांत है कि नियमित जांच का आशय है कि आरोप पत्र की सेवा के पश्चात् एक दोषी कर्मचारी को अपना उत्तर प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए तथा तत्पश्चात् विभाग को मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत कर आरोपों का समर्थन करना आवश्यक है, साथ ही साक्षियों का प्रतिपरीक्षण करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए और विभागीय साक्षियों के कथनों के समापन के पश्चात् दोषी कर्मचारी को प्रतिरक्षण में साक्ष्य

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए तथा मात्र इस कारण कि याचिकाकर्ता ने साक्षियों का प्रतिपरीक्षण करने या प्रतिरक्षण में साक्ष्य प्रस्तुत करने की मांग नहीं की, विधि की अपेक्षा पूर्ण नहीं होती है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि विधि के अनुसार आरोपों को सिद्ध करने का भार विभाग पर निहित है तथा वर्तमान प्रकरण में आरोप अस्पष्ट हैं। उन्होंने **जगदीश प्रसाद सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, दर्ज 1990 एलसीडी 486 में**, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भी निर्भर किया।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान प्रश्नगत आदेश की ओर आकृष्ट किया और प्रस्तुत किया कि अपने उत्तर में यह विशेष रूप से कथित किया गया कि मापन पुस्तिका एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक निरंतर संचलन में रही, क्योंकि लेखा परीक्षा दल ने 3-4 दिनों तक लेखा परीक्षा कार्य संपादित किया। इस अवधि के दौरान, याचिकाकर्ता ने मापन पुस्तिका प्राप्त करने के प्रयास किए; तथापि, वह समय पर प्राप्त नहीं की जा सकी। अतएव लेखा परीक्षा दल को सूचित किया गया कि मापन पुस्तिका बाद में सत्यापन हेतु पश्चात् प्रस्तुत की जाएगी। तत्पश्चात् याचिकाकर्ता ने मापन पुस्तिका प्राप्त कर ली, किन्तु तब तक लेखा परीक्षा पूर्ण हो चुकी थी।

उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि लेखा परीक्षा दल द्वारा निष्पादित कार्य में किसी प्रकार की विसंगति या ठेकेदार को किए गए भुगतान के संबंध में कोई लेखा परीक्षा आपत्ति नहीं उठाई गई। अतएव यह कहा गया कि इस न्यायालय की कृपापूर्ण उदारता आवश्यक है।

6. श्री मनीष जौहरी, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया और प्रस्तुत किया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधता नहीं है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर मापन पुस्तिका को लेखा परीक्षा दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया तथा उसकी लापरवाही का स्पष्ट रूप से प्रश्नगत आदेश में उल्लेख किया गया है, किन्तु वह इस तथ्य का विवाद नहीं करते हैं कि ऐसा कोई कथन नहीं है कि निष्पादित कार्य या उसके अनुरूप किए गए भुगतानों के संबंध में लेखा परीक्षा दल द्वारा कोई लेखा परीक्षा आपत्ति उठाई गई हो। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की मौखिक सुनवाई हेतु तिथि नियत की गई थी किन्तु उसने कभी यह नहीं कहा कि विभाग कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करे। अतः याचिका निरस्त किए जाने योग्य है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए तथा याचिका की विषयवस्तु के साथ-साथ प्रश्नगत आदेश, आरोप पत्र, उत्तर तथा याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निर्भर किए गए निर्णयों का अवलोकन करने पर यह प्रत्यक्ष है कि वर्तमान प्रकरण में केवल यह आरोप है कि मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। निष्पादित कार्य के अनुरूप संबंधित फर्म को किए गए वित्तीय भुगतानों से संबंधित समस्त अभिलेखों का भी परीक्षण किया गया, साथ ही भंडार तथा अभियंताओं के अभिलेखों का भी अवलोकन किया गया, और कोई विसंगति या असंगति नहीं पाई गई इस तथ्य को छोड़कर कि मापन पुस्तिका प्रारंभ में लेखा परीक्षा दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई थी। अभिलेखों से यह भी प्रत्यक्ष है कि याचिकाकर्ता द्वारा आरोप पत्र के उत्तर प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् विभाग किसी भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर अपने प्रकरण को सिद्ध करने में विफल रहा। इसके विपरीत, दंड आरोपित कर दिया गया केवल इस अनुमान के आधार पर कि याचिकाकर्ता लेखा परीक्षा दल के समक्ष मापन पुस्तिका प्रस्तुत करने में अनिच्छुक था।

8. उपर्युक्त के आलोक में, यह न्यायालय इस मत का है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा केवल अनुमान के आधार पर दंड गलत रूप से प्रदान किया गया है तथा वह निरस्त किए जाने योग्य है। तदनुसार, दिनांक 05.06.2023 तथा 29.04.2024 के प्रश्नगत आदेश एतद्वारा निरस्त किए जाते हैं। फलस्वरूप, याचिका स्वीकार की जाती है। प्रश्नगत आदेशों के निरस्तीकरण के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता के सेवा लाभों पर तदनुसार विचार किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

31 मार्च, 2026

रेनू/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।